सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार– I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. 19 / 2026 दर्ज दिनांक : 26.02.2026

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र लादूसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रपुरा तहसील वा जिला चूरू

बनाम

1. नरेन्द्रंहस पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रपुरा तहसील वा जिला चूरू
2. भूपेन्द्रसिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रपुरा तहसील वा जिला चूरू
3. विक्रमसिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रपुरा तहसील वा जिला चूरू
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–ऋषिराजसिंह
प्रार्थना पत्रः– अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

: निर्णय :

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. का पेश कर निवेदन किया बाबत् दुरूस्ती नक्शा नंबर अंदाजी आदेश तहसीलदार चूरू जिसके द्वारा सहवन भूल वा गलती से इंतकाल संख्या 78 दिनांक 24.11.1991 साबिक खसरा संख्या 13, 09 रोही इन्द्रपुरा तहसील चूरू विक्रय पत्र के आधार पर इंतकाल दर्ज करते समय नक्शा की नंबर अंदाजी गलत दर्ज कर दिया गया है, को सही तरीके से मौके पक्षकारो के कब्जा काश्त के अनुसार वा विक्रय पत्र में अंकित अनुसार वा इंतकाल आदेश के मुताबिक अंकन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने बाबत्। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. जाब्ता दिवानी प्रार्थना–पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ने उपस्थित होकर अंकित किया कि दुरूस्ती की जाती है तो हमें कोई आपति नहीं है। जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।

बहस में अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से विनम्र निवेदन है कि प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि राजस्व अभिलेख में सहवन भूल एवं लिपिकीय त्रुटि के कारण नक्शा नंबर अंदाजी गलत अंकित हो गई है, जिसे वास्तविक स्थिति, विक्रय पत्र एवं मूल इंतकाल आदेश के अनुसार दुरूस्त किया जाना न्यायहित एवं विधिसम्मत है। प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट है कि साबिक खसरा संख्या 13, 09 रोही इन्द्रपुरा, तहसील चूरू के संबंध में विक्रय पत्र के आधार पर इंतकाल संख्या 78 दिनांक 24.11.1991 दर्ज किया गया था। उक्त इंतकाल दर्ज करते समय नक्शा नंबर अंदाजी अंकन में त्रुटिवश गलत अंकन हो गया, जबकि विक्रय पत्र, कब्जा [illegible] वास्तविक स्थिति तथा तत्कालीन इंतकाल आदेश में अंकित विवरण भिन्न एवं सही रूप [illegible]। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी एवं पक्षकारगण मौके पर अपने–अप[illegible] तथा वर्तमान प्रार्थना–पत्र केवल राजस्व रिकॉर्ड को वास्तविक स्थिति एवं मूल [illegible] के अनुरूप दुरूस्त कर[illegible] प्रस्तुत किया गया है। इससे किसी पक्षकार के अधिकार, स्वामित्व [illegible] हिस्सेदारी पर कोई [illegible] प्रभाव नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

पड़ता है। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्ट रूप से यह कथन अंकित कर चुके हैं कि यदि दुरूस्ती की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अतः यह तथ्य भी निर्विवाद है कि प्रस्तुत दुरूस्ती मात्र लिपिकीय/तकनीकी त्रुटि के सुधार हेतु है और इस संबंध में किसी प्रकार का विवाद शेष नहीं है। राजस्व अभिलेखों का उद्देश्य वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करना होता है। यदि रिकॉर्ड में अंकन त्रुटिपूर्ण रह जाता है तो भविष्य में अनावश्यक विवाद उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। अतः न्यायहित में आवश्यक है कि विक्रय पत्र, इंतकाल आदेश एवं मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार नक्शा नंबर अंदाजी को दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड संशोधित किये जाएं। अतः माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर सहवन भूल एवं लिपिकीय त्रुटि को सुधारते हुए साबिक खसरा संख्या 13, 09 रोही इन्द्रपुरा तहसील चूरू संबंधी नक्शा नंबर अंदाजी को विक्रय पत्र, इंतकाल आदेश एवं मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार दुरूस्त करने की कृपा करें।

दस्तावेजों का अवलोकन किया गया विक्रय पत्र में दिनांक 04.10.1991 रोही ग्राम इन्द्रपुरा खसरा नम्बर 9 की 34 बीघा 05 बिश्वा भूमि में से दक्षिण की तरफ की भूमि विक्रय की गई है जिस पर आसा–पासा में उतर दिशा में खसरा संख्या 09 की भूमि जो श्रीमती संतोष को बेची जा रही है। अंकित है नामान्तरण संख्या 78 में खसरा संख्या 09 से विशालसिंह से श्रीमती संतोष कंवर पत्नी सुमेरसिंह व राजेन्द्रसिंह पुत्र विशालसिंह का जरिये विक्रयप पत्र खातेदार अंकन है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में इसके विपरीत खसरा नम्बर 09 के निर्मित खसरों में उतर तरफ राजेन्दसिंह है जबकि दक्षिण तरफ संतोष कंवर के वारिसान है।

पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर गौर किया गया। प्रार्थी राजेन्द्रसिंह पुत्र लादूसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर विचार किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण को तलब किया गया, जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 से 03 उपस्थित होकर यह कथन अंकित कर चुके हैं कि यदि दुरूस्ती की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पक्षकारों के कथनों का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि विक्रय पत्र दिनांक 04.10.1991 के अनुसार रोही ग्राम इन्द्रपुरा स्थित साबिक खसरा संख्या 09 की कुल 34 बीघा 05 बिश्वा भूमि में से दक्षिण दिशा की भूमि विक्रय की गई थी तथा विक्रय पत्र में आसा–पासा के विवरण अनुसार उत्तर दिशा में खसरा संख्या 09 की वह भूमि अंकित है जो श्रीमती संतोष कंवर पत्नी सुमेरसिंह को विक्रय की गई थी। नामान्तरण संख्या 78 दिनांक 24.11.1991 में भी खसरा संख्या 09 से विशालसिंह से श्रीमती संतोष कंवर पत्नी सुमेरसिंह एवं राजेन्द्रसिंह पुत्र विशालसिंह के पक्ष में खातेदारी अंकन किया गया है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से यह तथ्य परिलक्षित होता है कि निर्मित खसरों में उत्तर दिशा की ओर राजेन्द्रसिंह का अंकन किया गया है तथा दक्षिण दिशा की ओर संतोष कंवर के वारिसान अंकित हैं, जबकि विक्रय पत्र, नामान्तरण आदेश एवं मौके की वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। इससे स्पष्ट है कि नक्शा नंबर अंदाजी अंकन में सहवन भूल/लिपिकीय त्रुटि रह गई है। चूंकि प्रस्तुत दुरूस्ती मात्र राजस्व अभिलेखों को वास्तविक स्थिति, [illegible] के अनुरूप संशोधित करने हेतु है तथा इससे किसी पक्षकार के स्वामित्व अथवा [illegible] प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, साथ ही अप्रार्थीगण को भी कोई आपत्ति [illegible] जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:27 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

आदेश है कि

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि साबिक खसरा संख्या 09 रोही ग्राम इन्द्रपुरा, तहसील चूरू के संबंध में नक्शा नंबर अंदाजी एवं राजस्व रिकॉर्ड को विक्रय पत्र दिनांक 04.10.1991, नामान्तरण संख्या 78 दिनांक 24.11.1991 तथा मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार दुरूस्त किया जाकर आवश्यक संशोधन किया जावे।

उक्त आदेश आज 07.05.2026 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:27 IST
Reason: SelfAttested